



925-I-15

संख्या  
समस्त न्यायालय डीमांग बोर्ड ऑफ रीवेन्यू नं० १० गावालिपर, लेम्प, सागर

डीमांग रिश्वत, अग्रवाल पति वी विलास अग्रवाल  
निवासी - गणेश बार्ड, मुकाम पो/बीग, जिला सागर

अपीलाधी

Handwritten notes in Hindi, including '07/04/15' and 'अपील क्र. - A.450-II/14'.

विरुद्ध

मं.पु. शासन एवं अन्य

प्रति अपीलाधी बाण

अपील क्र. - A.450-II/14.

दिनांक रजिस्ट्री - 5/2/15

Handwritten signature and date '15/2/15'.

आवेदन पर अन्तगत धारा 35 मं.पु.नू.रा.सं 1959 और ले अपीलाधी :-

अपीलाधी/आवेदन को और से विन्यास पर धारणा है :-

1) यह कि उक्त संदर्भित अपील उक्त डीमांग के समस्त दिनांक 5/2/2015 को धारा 5 मद्रास अधिनियम पर एवं पंजीपत्र पर लंब हेतु लिपित था। उक्त दिनांक पर उक्त अपील के अन्तगत धारा 35 मं.पु.नू.रा.सं 1959 और ले अपीलाधी के समस्त पेशी 1/5 को लंब हेतु लिपित की गई थी।

2) यह कि दिनांक 5/2/2015 को अपीलाधी अग्रवाल विरुद्ध कोर्ट सागर में दीवानी प्रकरण में साक्ष्य करने में व्यस्त थे और उक्त पक्षकार को दिनांक 5/2/15 को पेशी को सूचना न दी सही। फलस्वरूप न तो पक्षकार और न ही अग्रवाल मद्रास पुनार के समस्त प्रकरण में उपस्थित थे सही फलस्वरूप प्रकरण अग्रवाल पेशी में निरस्त कर दिया गया।

3) यह कि अपीलाधी को और से उक्त अनुअपस्थिति सद्व्यवस्था अग्रवाल मद्रास के अन्य न्यायालय में व्यस्त थे जाते के कारण हुई है जो न्यायालय में समाप्त प्रमाण है। अपीलाधी को मद्रास पुनार में उक्त प्रकरण में निर्दिष्ट है और यदि उसे सूचना के अभाव न मिला तो उसे न्याय प्राप्त न हो सकेगा।

अतः डीमांग से निवेदन है कि उक्त संदर्भित अपील प्रकरण पुनः गंभीर पर विचार करने का आदेश देने की कृपा करें।

Handwritten checkmark.

Handwritten signature and date.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक: २२६/१/१५..... जिला (संगी)

स्थान तथा दिनांक	श्रीलाल कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२१-१०-१५	<p>प्रकल में आवेदन अधिवक्ता श्री के.पी.एस. ०६४८ को रखे। पल्लुना ग्या। आवेदन आधे ६०० रखे। आवेदन में अंकिने वृत्तों के आधार पर प्रकल उमोंक ५५०/१/१५ को पुनर्स्थापित करने का निर्देश किया गया। मूल प्रकल का आवेदन किया गया। मूल प्रकरण ५५०/१/१५ आवेदन आधे की अन्त के फाल आदेश दि० ५-२-१५ के अंत अन्त में लगे किया जाना पड़ा गया। रखे। आवेदन में अंकिने वृत्तों पर विचार किया गया। विचारोपश्चात् प्रकल में रखे का फल आधार होय है प्रकल ५५०/१/१५ पुनर्स्थापित किया जाता है। उक्त निर्देशों के तहत यह रखे ५०० को समाप्त किया जाता है। ५००/१/१५</p> <p style="text-align: right;">[हस्ताक्षर] [सदस्य]</p>	